© 2017 IJSRST | Volume 3 | Issue 8 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X
Themed Section: Science and Technology

गाँधी प्रायोजित आन्दोलन और उसमें महिलाओं की भागीदारी

राजेश कुमार
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग
वीर कुवर सिंह विश्वविद्यालय,
आरा (बिहार)

आधुनिक भारतीय चिन्तकों में महात्मा गाँधी समाज दर्शन के एक ऐसे पैगम्बर माने जाते हैं, जिन्होने अहिंसा सत्य और नैतिकता पर आश्रित सही समाज की नींव मजबूत की। देवत्व को मनुष्यत्व के धरातल से मिला देने वाले महामानव गाँधी का जीवनवृत बहुत ही अद्‌भुत है। आधुनिक युग में इस भारत भूमि में अवतारी पुरूषों की सृष्टि अभी बंद नहीं हुई है, और महात्मा गाँधी एक अवतारी पुरूष थे। महात्मा की संज्ञा प्राप्त करने में आखिर गाँधी में क्या विशेषताएँ थी, यह प्रश्न उनके व्यक्तित्व से स्वयंसिद्ध हो जाता है। इस राष्ट्रपिता के जीवन का आत्मपक्ष उतना ही पवित्र है जितना उनका लोकपक्ष मनुष्य होकर देवताओं जैसी वृत्ति की उनमें हमेशा प्रचुरता देखी गयी हैं।[1] संत के लक्षणों से उनको रंचमात्र भी दूर नहीं रखा जा सकता है। खोवी तो यह है कि उनके राजनैतिक जीवन से भी अधिक उनका सामाजिक जीवन उजागर होता है। उनकी जिन चारित्रिक विशेषताओं पर हम दृष्टिपात करे ये सब की सब पूर्णत समान लगते है। लगता है कि इन्हीं कारणो से हमारे राष्ट्रपिता को बापू की संज्ञा मिली। लोककल्याण का मतवाला यह संत सिर्फ दार्शनिक बकवासों में ही नहीं उलझा रहा बल्कि मानव की यथार्थ समस्याओं को सही रूप में आंका और उनका सही निदान विश्व के हर मानव ने अपनी आत्म रूप में स्वीकारा। महात्मा गाँधी सिर्फ भरत के ही नहीं बल्कि विश्व के हर मानवीय चेतना का सही मानपतावाद के रूप प्रतिनिधित्व करते थे।[2]

महात्मा गाँधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक थे। इतिहास में उनका स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वे स्वयं इतिहास के निर्माता एवं उसे एक निश्चित मोड़ देने वाले युग पुरूष थे। मूलतः वे एक धार्मिक महापुरूष थे। उनकी राजनीति आध्यात्मिक मूल्यों का व्यावहारिक रूप थी। जीवन का प्रत्येक पक्ष किसी न किसी रूप में उनकी राजनीति को स्पर्श करता है। उन्होने भारतीय क्रांति को एक नूतन दिशा, एक नया संदेश और एक नया मार्ग प्रदान किया समस्त विश्व उनकी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के प्रति अजेय निष्ठा से अभिभूत हो उठा उनकी इस सफलता का रहस्य उनके विचारों और कार्यपद्धति के अदभुत सामाजस्य में निहित है।[3] व्यक्तिगत स्वार्थ एवं सुख को उन्होने मानव मात्र के हित से कभी भी अधिक महत्व नहीं दिया। सामाजिक एवं साम्प्रदायिक एकता के निर्माण के लिए समता, सहिष्णुता, नैतिकता और विश्व बंधुत्व का आदर्श देश के समक्ष उपस्थित किया। उन्होने अपने साध्य को साधन की शुचिता के संदर्भ में देखा। फलस्वरूप वे अनीतिजन्य सफलता को कदाचित स्वीकार नहीं कर सके तथा सदैव नीतियुक्त मार्ग का ही आलम्बन लिया और परम्पराओं की अपेक्षा विवके और अनुभूति को महत्व प्रदान कर देश एवं विश्व को नूयतन चेतना से अनुप्राणित किया।[4]

गाँधी जी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पूर्ण पक्षधर थे। वे महिलाओं की सभाओं में अपने भाषण में आंदोलन में उनकी भागीदारी अनिवार्य बताते थे और साथ ही उन्हें यह कहकर प्रेरित करते थे देवियों और वीरांगनाओं की तरह ओदोलन में उनकी अपनी अलग भूमिका है और उनमें इस भूमिका को निभाने की शक्ति और हिम्मत है। उनहोंने महिलाओं को विश्वास दिलाया कि आंदोलन को उनकी महत्वपूर्ण योगदान की जरूरत है। वे कहते थे कि महिलाएँ सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होंगी तभी पुरूष आंदोलन में पूरा योगदान दे पायेंगे। अपने मध्यमवर्गीय अनुयायिओं को उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 85 प्रतिशत भारतीय महिलाएँ निर्धनता और अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई है उन्होंने महिला नेताओं से कहा कि उन्हें सामाजिक सुधार, महिला शिक्षा एवं महिला अधिकारों के लिए कानून बनाने का काम करना चाहिए ताकि उन्हें अपने बुनियाद अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा कि महिला नेताओं को सीता, द्रौपदी और दमयंती की तरह सात्विक, दृढ़ और नियंत्रित होना चाहिए तभी वह स्त्रियों के भीतर पुरूषों के साथ बराबरी का भाव जगा सकेंगी और अपने अधिकारों के प्रति सचेत तथा स्वतंत्रता के प्रति जाग्रत कर सकेंगी साथ ही मुक्ति का रास्ता दिखाते हुए उनके अपने क्षेत्र में उनको शीर्ष स्थान दिला सकेंगी।[5] महात्मा गाँधी दक्षिण अफ्रिका स्वतंत्रता संधर्ष की नायिका वलिअम्मा, जिसने मात्र सोलह साल में स्वतंत्रता संघर्ष में अपने प्राणों की आहूति दे ही, की चर्चा करते हुए, कहते थेः जब तक भारतवर्ष का नाम है तब तक दक्षिण अफ्रिका के अतिहास में वलिअम्मा का नाम भी अमर रहेगा।[6] एक महिला नेता ने गाँधी के संदेश के प्रभाविकता बताते हुए कहा है कि ''उनका संदेश महिलाओं के दिलों को छू लेता था।'' वे आंदोलान में महिलाओं को इसलिए भी जुटा सके क्योंकि उन्हें पुरूषों के रवैये का भी ध्यान था। गाँधी जी की व्यक्तित्व की खासियत थ कि वे न केवल महिलाओं में विश्वास जमाने में सफल थे वरन् महिलाओं के पुरूष संरचकों पति, पिता, पुत्र, भाईयों का विश्वास भी उन्हें प्राप्त था। उनके नैतिक आदर्श इतने उँचे थे कि जब महिलाएँ बाहर आकर राजनीति के क्षेत्र में काम करती थी तो उनके परिवार के सदस्य उनकी सुरक्षा के बारे में निश्चिंत रहते थे। 1921 में गाँधी जी के सुझाव के अनुसार बंबई में राष्ट्रीय सेविका संघ (आर. एस. एस.) और इसी का स्वयं सेवी समूह देश सेविका संघ (डी. एस. एस) का गठन किया गया। वे स्वतंत्र संगठन थे किन्तु घनिष्ठ रूप से कॉंग्रस के साथ–साथ काम कर रहे थे। देश सेविकाओं ने संगठन की अभूतपूर्व योग्यता का प्रदर्शन दिया। गाँधी के निर्देशक तत्वों के आधार पर पिकेटिंग के कार्यक्रम का संपूर्ण निरूपण और निर्देशन देश सेविकाओं द्वारा किया गया था। अपनी अलग पहचान और स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए महिलाओं के प्रयास से यह स्पष्ट है कि वे अपनी बात को कहने और अपने निर्णय स्वंय लेने के लिए उत्सुक थी।[7]

असहयोग आंदोलन सन् 1920–21 ई0 में शुरू हुआ। नागरिक अवज्ञा आंदोलन राष्ट्रवादी स्त्रियों को संगठित करने की दिशा में गंभीरता से विचार करना शुरू किया। लज्जावंती सन् 1920 में लाजपत राय से मिलने के पश्चात् लाहौर में पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गई। लाजपत राय की सहायता से उन्होंने चरखा कातने की कक्षाएँ शुरू की। इसी दौरान वे पंजाब प्रांतीय कॉंग्रेस कमिटी की सदस्य बन नई। उनके अनुसार पंजाब में तीन स्त्री संगठनकर्ता थी और तीनों ही महत्वपूर्ण हस्तियों से सम्बद्ध थी। इनमें से एक थी केदारनाथ सहगल की पुत्री पूर्णदेवी, दूसरी थी छबीलदास की पत्नी सीता देवी और तीसरी महिला थी लाला लाजपत राय की पुत्री पार्वती देवी। सन् 1920–21 के आंदोलन में लाहौर में लज्जावंती ने जिस तरह की स्त्रियों को संस्कारित किया उनका वर्गीकरण बड़ा दिलचस्प है। सर्वप्रथम तो उन्होंने उन स्त्रियों को भाग लेने के लिए तैयार किया जो लाहौर में पैदा होकर वहाँ पली बढ़ी नहीं थी। दूसरे, अधिकांश स्त्रियाँ मध्यमवर्गीय परिवार की थी। हालाँकि सरला देवी जैसी अनेक अमीर स्त्रियाँ भी थी। राष्ट्रवादी भावनाओं से ओत–प्रोत महिलाओं की संख्या विशाल थी। यह बात अलग है कि वे कम पढ़–लिखी थी। सैकड़ों स्त्रियाँ हाथ में खादी तथा चरखा

थामें निकल पड़ी तथा उन्होंने गली–गली घूम–घूमकर खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए जुलूस निकाला। जुलूस में आंदोलनकारी स्त्रियाँ फैशन का मजाक उड़ाने वाले गीत गाती और जहाँ भी लोग एकत्रित होते वहीं विदेशी कपड़ों की होली जलाती। स्त्रियों के प्रदर्शन को जब सरकार की ओर से रौलक्ट एक्ट के तहत कानून उल्लंघन के दायरे में लाने का प्रयास किया जाता दिखाई पड़ा, तो स्त्रियों ने संदेश छोड़ा कि अगर एक भी औरत को पकड़ा गया तो वे सब की सब जेल चली जायेगी।[8]

बंबई तथा कलकता दोनों शहरों में सन् 1920–21 में आंदोलन के दौरान स्त्रियों की सहभागिता पर पंजाब जैसी पाबंदियाँ नहीं थी। बंबई में स्त्रियों ने शराब की दुकानें लूट ली तथा सरकार द्वारा शराब के ठेकों के लाईसेंस की नीलामी के अवसर पर महिलाओं ने टाउन हॉल का घेराव किया और नीलामी रोक दी। बंबई की प्रमुख महिला आंदोलनकारियों में सराजनी नायडू, उमा कुण्डापुर, नंदूबेन कानुगा, पेरिन कैप्टन (दादाभाई नौरोजी की पौत्री) तथा सरदार बल्लभ भाई पटेल की पुत्री मणिबेन शामिल थी। 13 अप्रैल को महिलाओं ने बंबई में राष्ट्रीय स्त्री सभा की स्थापना की। यह इस प्रकार का पहला संगठन स्थापित किया गया। स्त्री सभा की सदस्य बंबई में खादी के प्रचार में व्यस्त हो गई। इसके साथ ही उन्होंने नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार करने के उद्देश्य से मिल–मजदूरों के साथ मिलकर बंबई में कपड़ा मजदूरों की हड़ताल करा दी। खादी वितरण केन्द्र के माध्यम से गाँवों में तैयार किए गए खादी के वस्त्रों की बिक्री तथा असके लिए प्रदर्शनियाँ भी आयोजित की गई। सभा के सदस्यों ने घर–घर जाकर भी खादी बेची। कलकता में बसंती देवी, उर्मिला देवी तथा सुनीति देवी तीन प्रमुख महिला संगठनकतृयाँ थी। से तीनों खादी पहनती थी और विदेशी कपड़ा बेचनेवाली दुकानों को फुर्ती से लूट लेती थी। उन्हें कलकता के सभ्य लोगों की राह में बाधक बनने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। बसंती देवी की गिरफ्तारी पर लोगों पर विद्युत वेग से असर पड़ा। इसके फौरन बाद एक हजार पुरूषों ने अपनी गिरफ्तारी के लिए स्वयं को पेश किया।[9]

सन् 1921 के काँग्रेस अधिवेशन में 145 महिला प्रतिनिधि शामिल हुई जिसमें 131 स्त्रियाँ स्वयं सेविकाएँ थी। 14 स्त्रियाँ विषय समिति की सदस्य थी। सरकार ने नागपुर शहर में काँग्रेस का झंडा लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके विरोध में स्त्रियों ने सन् 1923 में नागपुर ध्वज सत्याग्रह शुरू कर दिया। सरकार की ओर से 1923–24 में डकैतों पर नियंत्रण के नाम पर ग्रामीण किसानों पर अतिरिक्त लेवी लगा दी। इस दंडात्मक कार्रवाई के विरूद्ध स्त्रियों ने बारसाद सत्याग्रह किया। सरकारी आदेश के विरूद्ध नागपुर में हुए प्रदर्शन का नेतृत्व भक्तिबने देसाई नाम की महिला ने किया। लज्जावंती ने 1920–21 के आंदोलन में राष्ट्रवादी स्त्रैण भावनाओं के घनत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यद्यपि जितने बड़े पैमाने पर नारियों की सक्रियता 1930 के आंदोलन में दिखाई पड़ी उतनी तो उस समय नहीं थी परन्तु जिस लगन और संभावना से वे 1920 के आंदोलन में शामिल हुई, वह सचमुच महान् थी। 1921–22 के आंदोलन की एक जुझारू महिला उर्मिला देवी ने घोषणा की कि स्वराज का अर्थ है अपना राज तथा स्वाधीनता का अर्थ है अपने आपको शक्ति और उर्जा से ओतप्रोत कर लेना जबकि अमिया देवी ने कहा कि स्वाधीनता दी नहीं जा सकती बल्कि इसे बलपूर्वक छीनना पड़ता है। इस स्वाधीनता की जिम्मेवारी केवल शुभचिंतक पुरूषों पर नहीं है। इसके अलावा कुछ स्त्रियों ने यह विचार व्यक्त करना शुरू कर दिया कि स्त्रियाँ अगर आजाद होना चाहती हैं तो उन्हें पुरूषों के साथ संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए।[10]

12 मार्च 1930 को गाँधी जी अपने 75 साथियों के साथ दांडी यात्रा के लिए कूच किया। इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक दांडी यात्रा में उन्हें 200 मील पैदल चलकर समुंद्रतट पर स्थित दांडी पहुचना था और वहाँ समुंद्र के किनार से नमक उठकर सार्वजनिक रूप से नमक कानून को भंग करना था। गाँधीजी के साथ

सरोजिनी नायडू भी दांडी–यात्रा कर रहीं थी और जगह–जगह महिलाओं को सत्याग्रह की प्रेरणा दे रही थी। कार्यक्रम के अनुसार इसी टोली को 5 अप्रैल को दांडी पहुंचना था और 6 अप्रैल को नमक–कानून भंग करना था। जलियांवाला–कांड की स्मृति में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सप्ताह (6–13 अप्रैल) का पहला दिन 6 अप्रैल ही सारे देश में 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' के लिए चुना गया था।

इस कार्यक्रम के अनुसार दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को गाँधीजी ने गैर–कानूनी नमक बनाकर कानून तोड़ा। फिर जगह–जगह नमक–कानून तोड़कर हजारों लोग गिरफ्तार कर लिए गए। उनके बाद नेतृत्व करती सरोजिनी नायडू भी गिरफ्तार कर ली गईं। इलाहाबाद से स्वरूप रानी नेहरू और कमला नेहरू भी इस कार्य की देखभाल के लिए बंबई पहुंची। घटनास्थल पर धरसाणा में भी कुछ राहत–शिविर लगाए गए थे, जिनमें जानकी देवी बजाज के नेतृत्व में कई स्वयंसेविकाएं तैनात थी। यहीं गाँधी आश्रम की दो कार्यकर्ताएं–अन्नपूर्णा बहन और गंगा मां वैद्य लाठीचार्ज से घायल हुईं।

आरंभ में कुछ थोड़ी–सी ही महिलांएं आंदोलन के साथ थीं, क्योंकि गाँधीजी ने आम महिलाओं को आंदोलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। प्रमुख महिलाओं और महिला संस्थाओं द्वारा मांग उठाने व जिद करने पर गांधीजी ने अनुमति दे दी और बड़ी संख्या में महिलाएं आंदोलन में कूद पड़ी।[11]

1930 ई0 के इस आंदोलन में महिलाओं का जोश देखते ही बनता था। यह जोश 1930–31 में न केवल निरंतर कायम रहा, उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। गाँधीजी विशेषतया इस बात के इच्छुक थे कि महिलाएं विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरना देने के बहिष्कार कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाग लें और पुरुषों का हाथ बटाएं। पर महिलाओं ने इससे आगे बढ़कर सभी कार्यक्रमों में हिस्सा ले, आशातीत प्रतिक्रिया व्यक्त की। आजादी की लड़ाई के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाऐं घरों से निकलीं। उन्होंने प्रभात फेरियां निकालीं। जुलूस निकाले। सभाऐं आयोजित की। नमक–कानून भंग किया। विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों पर धरने दिए, हर प्रांत में इन सभाओं, जुलूसों, धरनों के लिए हजारों की संख्या में महिलाऐं घरों से बाहर आ गईं और छात्राऐं स्कूलों से बाहर। नेताओं के जेल जाने पर शहरों में अधिकतर केवल स्त्रियों के ही भारी–भारी जुलूस निकले। प्रांतों में और स्थानीय केंद्रों में वे 'कॉंग्रेस डिक्टेटर' भी बनीं और उन्होंने कहीं–कहीं पुरुषों से अधिक दृढ़ता का परिचय दिया।[12]

महिला संस्थाए–देश–भर में 'सेविका संघ' स्थापित हुए। बंबई की देश सेविका समिति की ओर से प्रतिदिन 300 सेविकाऐं धरना देने जाती थी, जिनमें से 200 से उपर जेल गईं। पहले दौर में ही बंगाल में लगभग 200, गुजरात में 125, पंजाब में 100, सयुंक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) में 100 महिलाए बंदी बनाई गईं। जब पुरुष जेल गए, तो महिलाओं ने उस खाली स्थान को भर, अपने दायित्व को योग्यतापूर्वक निभाया और अपनी संगठन–शक्ति का परिचय दिया। जगह–जगह 'पिकेटिंग बोर्ड' बनाए गए। 'इंडियन वूमेंस एसोसिएशन' 'ऑल इंडिया वूमेंस कांफ्रेंस' 'गुजरात भगिनी समाज' 'बंगाल महिला भारतीय संघ' आदि राष्ट्रीय और प्रांतीय महिला संस्थाओं व उनकी शाखाओं नारी सत्याग्रह समितियां, रचनात्मक कार्य विभाग, प्रभात फेरी विभाग, स्वदेशी प्रचार विभाग चरखा संघ, बहिष्कार व धरना विभाग, आदि बनाकर बड़े पैमाने पर इस असहयोग आंदोलन में भाग लिया।[13]

विरोध–इस्तीफे– देश में सभी जगह राष्ट्र के प्रति वफादार लोगों द्वारा 'केसरे हिंद' के खिताब और 'सर' की उपाधियां लौटाई जा रही थी। मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी ने विरोधस्वरूप मद्रास विधान परिषद के उपाध्यक्ष–पद से इस्तीफा दे दिया। कमलाबाई लक्षमणराव और हंसा मेहता ने अपले आनरेरी मजिस्ट्रेटी के पद

छोड़ दिए। केंद्रीय प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला सदस्य अनुसुइया बाई काले हंसा मेहता कमला बाई अैर लक्ष्मणराव इन दिनों जेल भी गईं।[14]

महिला नेतृत्व– महात्मा गाँधी और अन्य बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद विभिन्न स्थानों पर महिलाओं ने सत्याग्रह का नेतृत्व संभाला। राष्ट्रीय स्तर पर श्रीमती सरोजिनी नायडू नेतृत्व कर रही थी, इसलिए गाँधी के शीघ्र बाद ही गिरफ्तार कर ली गई थी। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और लखनउ का क्षेत्र तो जैसे स्वराज्य–आंदोलन का कैंप बना हुआ था। यहाँ लेडी अब्दुल कादिर, स्वरूपरानी नेहरू, उमा नेहरू, सरला भदौरिया, कमला नेहरू, कृष्णा नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित, श्याम कुमारी नेहरू आदि असहयोग आंदोलन में अग्रणी नाम थे। कमला नेहरू इस समय बड़ी लोकप्रिय हुईं और वह इलाहाबाद का गौरव बन गईं। उन्होंने गाँव–गाँव में आंदोलन की सक्रियता बढ़ाने और इसके लिए महिलाओं को तैयार करने में अपने कमजोर स्वास्थ्य के बावजूद, अथक श्रम किया। एक जनवरी 1931 को उनकी गिरफ्तारी से प्रयाग कि महिलाओं को इतनी प्रेरणा मिली कि बड़ी संख्या में वे उनके द्वारा स्थापित 'सेविका संघ' में सम्मिलित हो गईं।[15]

संयुक्त प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों के अग्रिम पंक्ति में सक्रिय अन्य प्रमुख नाम थे– श्रीमती मुकुंद मालवीय, दुर्गा मालवीय, शिवरानी देवी, प्रेमचंद, प्रकाशवती सूद, गायत्री देवी, रघुनाथ कुमारी अमन, हाजरा बेगम, कमला चौधरी, उर्मिला शास्त्री, पूर्णिमा बनर्जी, सुखदेवी, श्रीदेवी मुसद्दी, प्रभा दीक्षित, जनक कुमारी, कंचन कुमारी, कृष्णा लायटू सुनीति देवी, रामकली मित्तल, छोटी देवी आदि।[16]

बंगाल में देशबंधु चित्तरंजन दास की बहन उर्मिला देवी भी काफी सक्रिय थी। उन्होंने और अरुणाबाला सेन ने धरनों जुलूसों का नेतृत्व किया। मिदनापुर के तामलुक क्षेत्र में मातंगिनी हाजरा ने अपनी धाक जमा रखी थी। लतिका घोष ने सुभाष चंद्र बोस की सहायता से 'महिला राष्ट्रीय संघ' की स्थापना की थी और सुभाष चंद्र बोस की माताजी को उसकी अध्यक्षा बनाया। लावणप्रभा दत्त ने 'आंनंद मठ' संस्था का गठन किया और शांति कबीर के साथ 'नारी सत्याग्रह समिति' भी बनाई। ये सभी संस्थाऐं धरनों–जुलूसों, बहिष्कार टोलियों का प्रबंध कर रही थी। प्रभा चटर्जी की 'बालूर घाट महिला समिति' तो 1921 से ही काम कर रही थी। 13 अप्रैल 1930 को उनके नेतृत्व में पाँच हजार स्त्रियों ने नमक–कानून भंग किया। तभी उन्हें 13 महीने की लंबी अवधि की सजा सुनाई गई थी। सरला बाला देव ने सिलहट में और प्रभा चटर्जी ने ढाका में महिलाओं का नेतृत्व किया।[17]

दिल्ली मं स्वामी श्रद्धानंद की नातिन श्रीमति सत्यवती, कुमारी मेरी कैम्पबेल, मेमोबाई जैसी प्रसिद्ध महिलाओं के अलावा, समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित अनार देवी, चंपा देवी, चमेली देवी, दयावती, दुर्गा, गंगा देवी, जय देवी, जावित्री देवी, कलावती, कमला देवी, केसर देवी, आदि ने भी नाम कमाया। केवल दिल्ली में ही इन महिलाओं की प्रेरण से सोलह सौ स्त्रियां गिरफ्तार होकर जेल गईं। इतनी बड़ी संख्या में आंदोलनकारी महिलाओं के संगठन का श्रम श्रीमती अरुणा आसफअली को भी था 1930 के नमक–आंदोलन के समय उनका नाम महिला–नेतृत्व में तेजी से उभरा। दिल्ली के चीफ कमिश्नर की चेतावनी की उपेक्षा करने पर उन्हें एक वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया था। कुछ महीनों बाद 'गाँधी–इरविन समझौते' पर जब शेष नेता रिहा कर दिए गए थे, तब इन्हें नहीं छोड़ा गया था। बहुत दबावों पर ही देर से उनही रिहाई हो सकी थी।

दिल्ली में मिस मेरी कैम्पेबल उन दिनों 6–17 महिलाओं के जत्थे लेकर रोज 'पिकेटिंग' कर रही थी। एक दिन वह एक हजार महिलाएं लेकर अदालत पहुँच गईं और जजों–वकीलों को काम बंद करने के लिए विवश करने लगी। उस दिन वहां महिलाओं पर लाठी–चार्ज हो गया। लाठी–चार्ज से घायल होने वाली महिलाओं में पडित जवाहरलाल नेहरू की सास श्रीमती राजमती के अलावा, एक 10 वर्षीय लड़की भी थी, जिसे गंभीर चोटें आईं। भीड़ के तितर–बितर न होने पर गोली चलाने की धमकी भी दी गई। लेकिन महिलाओं ने वहां से हटने से इंकार कर दिया। महिलाएं जुलूस की शक्ल में ही लौटीं।[18]

पूरे मध्य प्रांत में अनुसूइया बाई काले नेतृत्व संभाल रही थी–नागपुर क्षेत्र में सुमन केसकर और बरार क्षेत्र में दुर्गा जोशी थी। इनके निर्देशन में जगह–जगह महिला संगठन आंदोलनरत् थे। वर्धा में जानकी देवी बजाज और केसरबाई पोद्दार ने महिला–टोलियों और स्वयंसेवकों को संगठित किया खंडवा में श्री माखनलाल चतुर्वेदी की बहन कस्तूरीबाई उपाध्याय ने और जबलपुर में सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने। गाँव की साधारण महिलाएं भी पीछे न थी। छिंदवाड़ा क्षेत्र में जंगल– कानून भंगकर असहयोग आंदोलन में भागे लेते हुए तीन आदिवासी महिलाएं पुलिस की गोली की शिकार हुईं–ये थी प्रदुलेबाई तरिया, रेना बाई तुरिया, दोनों मजदूर स्त्रियां और एक किसान स्त्री दीमोबाई।[19]

दक्षिण भारत में भी आंदोलन का जोर कम न था। दक्षिण–पश्चिम में बेलगांव का पूरा क्षेत्र बंबई की राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने संभाल रखा था, तो इस क्षेत्र में आंदोलन की गति भी अधिक तीव्र थी। हैदराबाद में लक्ष्मीबाई संगम, विजयवाड़ा में श्रीमती संदरम्मा, मैसूर में लेरली सिद्धप्पा, कामेश्वरम्मा, कुप्पुस्वामी और केरल में अकम्मा बर्के, ए.वी कुट्टीमलूअम्मा नेतृत्व प्रदान कर रही थी। मद्रास में अम्मू स्वामीनाथन, रुक्मणि लक्ष्मीपति, मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी, अम्बू जम्माल, रामेश्वरम्मा जैसी नेत्रियां सक्रिय थी। यहां से महिलाओं द्वारा जेलें भरने का क्रम चाहे कम रहा हो, शिक्षा–भाव से स्त्रियों में जाग्रति अधिक थी और आंदोलन अपेक्षाकृत अधिक सुचारु ढंग से चलाया जा रहा था। 4 नवंबर 1930 की रेजीडेंट हैदराबाद की गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार, कुमारी पद्मजा नायडू (सरोजिनी नायडू की पुत्री) स्वदेशी अभियान चलाने में बहुत सक्रिय थी।[20]

1930–31 ई0 के इस आंदोलन में कुल मिलाकर लगभग एक लाख व्यक्ति जेल गए थे, जिनमें से महिलाओं की संख्या सत्रह हजार थी। जेंले भर गई, जो स्त्रियां को पकड़–पकड़कर बाहर जंगलों में छोड़ दिया जाने लगा। उन्हें हर तरह से डराया–धमकाया गया। जेलों में तकलीफ दी गई पर उन्होंने सभी कष्टों का हंसकर सामना किया। कुछ महिलाएं जो इधर जेल से छूटती थी, उधर फिर सत्याग्रह करके जेल चली जाती थी। उनके बच्चे सड़को पर मारे–मारे फिरे। कहीं तो पूरे–के–पूरे घर बरबाद हो गए। पर उन्होंने हिम्मत न हारी। निरक्षर, पिछड़ी हुई आंदोलन के लिए अप्रशिक्षित और असंगठित भारतीय नारी का सहसा यह साहसी रूप, ब्रिटिश सरकार को चौंका गया। महात्मा गाँधी ने भी लिखा 'भारतीय नारियों का यह साहसपूर्ण कार्य इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा।'

संदर्भ–

1. डॉ0 रंगनाथ प्रसाद, डॉ0 आभा अखौरी एवं डॉ0 नूतन सिन्हा– गाँधी–दर्शन विश्व शांति की ओर, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी पटना पृष्ठ–1
2. उपर्युक्त, पृ0–वही
3. डॉ0 जय कुमर मिश्रा– 21 वीं सदी में महात्मा गाँधी की प्रासंगिकता प्रत्यूष पब्लिकेशन्स 2012 दिल्ली पु0–9–10
4. उपर्युक्त, पृ0 वहीं
5. सुरेन्द्र कुमार–नारी पुनरूत्थान में गाँधी एवं महिलाओं का वर्तमान स्वरूप, क्लासिकल पब्लिसिंग कम्पनी 2012 नई दिल्ली पृ0–11–12
6. श्री कालिका प्रसाद (अनु0)–दक्षिण अफ्रिका के सत्याग्रह का इतिहास सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन 2009 नई दिल्ली पृ0–172
7. डॉ0 कमला गुप्ता–भारतीय नारी प्रारंभ से 2000 ई0 तक जानकी प्रकाशन 2012 पटना पृ0–136
8. उपर्युक्त पृ0–135
9. उपर्युक्त पृ0–वही
10. उपर्युक्त पृ0–136
11. आशारानी व्होरा–महिलाएँ और स्वराज्य, प्रकाशन विभाग 1988 नई दिल्ली, पृ0–173
12. उपर्युक्त पृ0–174
13. उपर्युक्त पृ0–वही
14. The Journal of the Meerut University History Alumni Vol 21, No-11 2013 में प्रकाशित डॉ आराधना कुमारी का शोध आलेख महिलाओं के उत्थान में गाँधीवाद पृ0–118–19
15. आशारानी व्होरा–महिलाएँ और स्वराज्य, प्रकाशन विभाग 1988 नई दिल्ली, पृ0–175
16. उपर्युक्त पृ0–वही
17. उपर्युक्त पृ0–176
18. उपर्युक्त पृ0–179
19. उपर्युक्त पृ0–वही
20. उपर्युक्त पृ0–वही